31/03/18

वकील अपीलांट श्री वकील अपीलांट ने कथन किया कि मूल वाद का निर्णय तो पूर्व के अनुसार यह अपील निष्पादनी तो पूर्व ही पूर्व मूल वाद का निर्णय तो पूर्व के अनुसार धारा 212 RTA के प्रावधान पर पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील स्वतंत्र निष्पादनी होने के अनुसार पत्र दायर की गयी है निर्णय पत्रावली नम्बर के कार्य हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 31/03/18